

फर्द अहकाम




पठापरत बनाम छन्नाराम

नाम न्यायालय

SPO काठमांडू

केस संख्या

41/23

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विरोध विवरण
	15/1/25	<p>वकील जयदीप शर्मा (आजमी) से पकी तामिल (छे बुकी है) वाले फेरा से अवाक टेल फवावलि दिनांक 29/1/25 को फेरा को</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) </p>	
	29/1/25	<p style="border: 1px solid black; padding: 5px;">अभय पक्ष उपस्थित/अभिभावक सघ में न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ... अपस्त ... है। पत्रावली मत आदेशानुसार दि. 29/1/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (रीडर) </p>	
	30/1/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील जयदीप शर्मा उद्योग के सहायिका व वाकपूड तामिल के अभिलिख नही होने से एक पकी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील जयदीप शर्मा के सम्बन्ध में दिनांक 22/6/23 को जारी रस्थापि निवेद्यास का मूल वाद के विवेक एक कम्प्लैट जिसे जाने हुए विवेक किया। उद्योग से सम्बन्धित मूल वाद के द्वारा का है तथा उद्योग के सुरक्षा रिपोर्ट के आधार पर विवेक किया जाना है और ध्यान धारण पर के लक्ष्य में जारी रस्थापि निवेद्यास दिनांक 22/6/23 के मूल वाद पर के विवेक एक रस्थापि किया जाकर कम्प्लैट किया गया है। पत्रावली के मूल उद्योग के मूल वाद के सम्बन्ध में है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-गान्धी) </p>	